प्रेषक,

संख्या–155 /XVI(2)/11/7(55)/10

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भेषज विकास इकाई,
देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1

देहरादूनः दिनांक 31 मार्च,2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना "0109–राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजना पर 20% राज्यांश"में सम्भावित बचत से आयोजनागत पक्ष की योजना 9113–विविध कार्यो हेतु भेषज संघों को अनुदान में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–899/लेखा/बजट मॉग/2010–11, दिनांक–12–8–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की "0109–राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजना पर 20% राज्यांश" के उप मानक मद 50–सब्सिडी में उपलब्ध बचत ₹–46.68 लाख (₹ छियालीस लाख अड़सठ हजार मात्र) का पुनर्विनियोग संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार आयोजनागत पक्ष की योजना **"9113–विविध कार्यो हेतु भेषज संघों को अनुदान "** के उप मानक मद 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता में करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–515/XXVII(1)/2009,दिनांक–28 जुलाई,2009 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(5) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0 एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।

(6) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण– वितरण अधिकारी को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

....2/

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–29 के 2401–फसल कृषि कर्म 119–बागवानी और सब्जियों–91–जिला योजना–9113–विविध कार्यो हेतु भेषज संघों को अनुदान के उप मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0–15 (पुनर्विनियोग विवरण पत्र) के कॉलम–01 की बचतों से वहन किया जायेगा

(8) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–501(e)/वित्त अनु0–4/2010–11 दिनांक– 31 मार्च,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–155/XVI(1)/11/7(2)/10,तददिनांक:

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
4. बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान,गोपेश्वर–चमोली।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र वर्ष 2010–11

नियंत्रक अधिकारी– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भेषज विकास इकाई आयोजनागत प्रशासनिक विभाग–उद्यान एवं रेशम विभाग,उत्तराखण्ड शासन।

(धनराशि रूपये हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि का स्थानान्तरण होना है।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या–29 2401–फसल कृषि कर्म 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें– 01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0109–राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजना पर 20% राज्यांश 50–सब्सिडी 30000	24499	1	5500	अनुदान संख्या–29 2401–फसल कृषि कर्म 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें– 01–जिला योजना 9113–विविध कार्यो हेतु भेषज संघों को अनुदान 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता 4668	5668	832	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजना पर 20% राज्यांश योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष ₹– 5500 हजार शासन से अवमुक्त न किये जाने के कारण बचत हो रही है तथा 9113–विविध कार्यो हेतु भेषज संघों को अनुदान में ₹–4668 हजार की धनराशि कम पड़ रही है। इसलिए ₹–4668 हजार का पुनर्विनियोग किया जाना आवश्यक है।
वृहद योग:– 30000	24499	1	5500	4668	5668	832	

पुर्नविनियोग की संस्तुति की जाती है,तथा प्रमाणित किया जाता है,कि बजट मैनुवल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

.2/–

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4
संख्या–801 (A)/XXVII–04/
देहरादूनः दिनांक–31 मार्च,2011

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,
सहारनपुर रोड,देहरादून।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(पी0एस0जंगपॉगी)
अपर सचिव(वित्त)

संख्या– 155 /XVI(2)/11/7(55)/10, तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
2– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी,भेषज विकास इकाई,देहरादून।
5– गार्ड फाइल।

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।